महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

परीक्षा समिति की 30वीं बैठक का कार्यवृत्त

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2025 को अपराह्न 03.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा समिति की 30वीं बैठक आहूत की गयी। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत हैं–

क्र0सं0	नाम	संस्था का नाम	पद नाम	समिति दायित्व
1.	प्रो0 संजीव कुमार	महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 देवेन्द्र प्रताप सिंह	कूबा महाविद्यालय दरियापुर, नेवादा,आजमगढ़	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 मधुबाला राय	श्री दुर्गा जी पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 असहद अहमद	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
5.	प्रो0 बृजेश कुमार	श्री दुर्गा जी0 पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6.	प्रो0 एस. ताहिर हसन	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
7.	डॉ0 दिनेश कुमार तिवारी	डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
8.	डा0 सौम्य सेन गुप्ता	डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़।		विशेष आमंत्रित
9.	डा0 सर्वेश कुमार	श्री दुर्गा जी पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़।		विशेष आमंत्रित
10.	श्री विशेश्वर प्रसाद	महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ	कुलसचिव	सचिव

मा0 कुलपति जी की अनुमति से कुलसचिव ने समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचारोपरान्त निर्णय लिए गए–

मद सं. 1– परीक्षा समिति की 29वीं बैठक दिनांक 27.03.2025 के कार्यवृत्त का सम्पुष्टीकरण।

निर्णय– समिति के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की 29 वीं बैठक दिनांकः 27.03.2025 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया गया।

मद सं. 2. स्ववित्तपोषित प्रबन्धक संघ के परीक्षा केन्द्र सम्बन्धित पत्र पर विचार।

निर्णय– ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2023 की सम सेमेस्टर से विषम सेमेस्टर 2025 की परीक्षा तक परीक्षा में सामूहिक नकल में आरोपित हुए हैं, ऐसे महाविद्यालयों को रू0 50 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए केवल छात्राओं का स्वकेन्द्र बनाया जाय तथा ऐसे महाविद्यालयों पर एक–एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किये जायेंगे। 14 अप्रैल 2025 तक अर्थदण्ड जमा न करने वाले महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नही बनाया जायेगा।

मद संख्या 3. प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा हेतु वाणिज्य, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं भूगोल (भ्रमण) विषय में विश्वविद्यालय द्वारा वाह्य परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था पूर्व की भांति पुनः लागू करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– सम सेमेस्टर सत्र 2024–25 की अग्रिम परीक्षा में प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा हेतु वाणिज्य, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं भूगोल (भ्रमण) विषय में विश्वविद्यालय द्वारा वाह्य परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था पूर्व की भांति लागू रहेगी।

महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

मद संख्या 4. परीक्षा प्रारम्भ होने पर कन्ट्रोल रूम में कार्यरत परीक्षा समन्वयक, कार्यालय सहायक, व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को परीक्षा के समय पारिश्रमिक देने पर विचार।

निर्णय– प्रश्न पत्र नोडल केन्द्र पर भेजने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिसर के निर्धारित कन्ट्रोल रूम में कार्यरत परीक्षा समन्वयक, कार्यालय सहायक, व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को परीक्षा के समय पारिश्रमिक देने पर समिति द्वारा निर्णय लेने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया है।

मद संख्या 5. मा0 कुलपति जी के अनुमति से अवगत कराना है कि स्नातकोत्तर खाद्यविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में त्रुटिवश Principels of Food Processing प्रश्नपत्र में 75 अंक के स्थान पर 50 अंक का प्रश्नपत्र तैयार कर दिया गया तथा Instrumention and analytical techniques प्रश्नपत्र में 50 अंक स्थान पर 75 अंक में प्रश्नपत्र तैयार कर दिया गया है जिसके कारण अंक प्राप्तांक से अधिक हो गया है एवं Research Methodology and statistics प्रश्नपत्र में 75 अंक के स्थान पर 50 अंक में प्रश्नपत्र तैयार कर दिया गया है जिसकी वजह से अंक कम प्राप्त हुये है तथा अधिकांश छात्र/छात्राएं अनुर्तीण हो गये हैं। उक्त छात्र/छात्राओं के परीक्षा फल घोषित करने पर विचार।

निर्णय– छात्रहित को देखते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त प्रश्न पत्रों का पूर्णांक सही करते हुए उनका समानुपतिक आधार पर प्राप्तांक प्रदान कर छात्र/छात्राओं का परीक्षा फल घोषित किया जाना समीचीन होगा। अतएव छात्रहित को देखते हुए शीघ्र परीक्षाफल घोषित किया जाय।

मद संख्या 6. प्राचार्य ब्रजेश कुमार द्वारा श्री शैलेन्द्र भारती असि0 प्रो0 गणित विभाग डी0ए0वी0 कालेज, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 21.08.2024 पर विचार।

निर्णय– समिति द्वारा परीक्षक श्री शैलेन्द्र भारती के आवेदन पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षकत्व से डिवार करने के प्रकरण पर विचार करते हुए श्री भारती को मूल्यांकन कार्य एवं अन्य परीक्षा कार्य से परीक्षा समिति की 24वीं बैठक दिनांक 13.07.2024 में लिये गये निर्णय से अवमुक्त करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को निर्देशित किया।

(विशेश्वर प्रसाद)
कुलसचिव

(प्रो0 संजीव कुमार)
कुलपति